न्यायालय भुमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

संदेहात्मक वाद सं0–02/2010–11

राज्य बनाम देवदत्त प्रसाद

आदेश की क्रम एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
24.02.21	अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा के पत्रांक–611/सा0, दिनांक–26.07.2011 द्वारा अंचल अधिकारी, हण्टरगंज का संदेहात्मक वाद अभिलेख संख्या–02/2010–11 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा के न्यायालय में पूर्व जमाबंदी के संबंध में राज्य पक्ष एवं संबंधित पक्षकार की सुनवाई हेतु प्राप्त है। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा प्रतिवादी को मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में अपने पक्ष में लिखित बहस समर्पित किया गया। अंचल अधिकारी, हण्टरगंज के आदेश पत्रक में उल्लेखित है कि खाता संख्या–267, प्लॉट संख्या–11 रकवा–0.08 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में **गैरमजरूआ खास** खाते की है। आवेदक द्वारा रैयती भूमि बताया गया है, जो असत्य है। भूमि चतरा–गया PWD रोड पर स्थित है एवं 0.08 एकड़ में से एक इंच भूमि पर आवेदक का दखल कब्जा नहीं है। वर्तमान में. उक्त पूरी भूमि पर सार्वजनिक स्थान वजरंगबली/महावीर मंदिर एवं विधायक योजना तथा सांसद योजना से सामुदायिक भवन पूर्व से निर्मित है। इसी भवन परिसर में विधायक योजना मद के तहत पुस्तकालय भवन बनाने का शिलान्यास किया गया है। पंजी– II के अनुसार खाता संख्या–267, प्लॉट संख्या–11, 643 वो अन्य रकवा–0.08 एकड़ के साथ अन्य प्लॉट में 7.30 एकड़ भूमि की जमाबंदी आवेदक के पिता–महेश साव, पिता–मंगरू साव के नाम पर पंजी– II पेज संख्या–75/5 पर रसीद वर्ष 08–09 तक निर्गत है। **पूरी रकबा 7.38 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि है।** उक्त पूरी भूमि 7.38 एकड़ (0.04 एकड़ विक्री के बाद वर्तमान में 7.34 एकड़) आवेदक के पिता महेश साव को केवाला प्राप्त है एवं पंजी में दर्ज है, कि दाखिल खारिज वाद संख्या 26/74–75 एवं वाद संख्या–32/87–88 से जमाबंदी नियमित है। पुनः जमाबंदी को रद्द के लिए अनुशंसित भी है कारण की केवाला लखपतिया देवी, पति–तुलसी साव से महेश साव को प्राप्त है कि सरकारी गैरमजरूआ	

1 Misc

भूमि लखपतिया देवी को बेचने का हक नहीं था क्योंकि लखपतिया देवी के नाम से पूर्व में जमाबंदी नहीं था। पंजी–II यह भी दर्ज है कि तत्कालीन कर्मचारी को डरा–धमका कर रसीद निर्गत कराया गया है। अंचल अधिकारी, हण्टरगंज के आदेश पत्रक यह भी उल्लेखित है कि प्रस्तुत कागजात, कायम जमाबंदी एवं राजस्व प्रतिवेदन को देखने से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि **गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है।** लखपतिया देवी ने बिना जमाबंदी के जमीन को केवालाा अपने परिवार में की। केवाला लिखने का कोई पोक्ता आधार नहीं है चूँकि प्रश्नगत भूमि सरकारी है तथा वर्तमान में 4 डी0 जमीन की बिक्री की गई जो सरकारी सम्पति है। दाखिल खारिज केश संख्या–534/99–2000 तथा दा0खा0 केस 26/74–75 की कायम जमाबंदी अवैध है। सरकारी भूमि हड़पने के मंशा से चल रही जमाबंदी खाता संख्या–267 रकवा 7.38 एकड़ भूमि को जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

प्रतिवादी के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि उपर्युक्त मुकदमा विपक्षी के विरूद्ध गलत ढंग से लाया गया है, तथा विपक्षी के पिता–स्व0 महेश साव के नाम ग्राम जोरी के खाता संख्या–267 प्लॉट नं0 11, 643, 663, 651, 1, 3, 69, 64, 94, 34, 621 जमा रकवा सभी प्लॉट मिलाकर 7.38 एकड़ की जमाबंदी पुस्त– II के पृष्ट संख्या 75/5 पर दर्ज होकर सरकारी रसीद दाखिल खारीज केस नं0 26/74–75 में पारित आदेश के आधार पर कटती आ रही है, तथा वर्ष 2008–09 तक कटी है। यह कि उक्त भूमि मे से प्लॉट नं0 11 पर जबरन सरकारी पुस्तकालय भवन बनाया जा रहा था, जिसके संबंध में विपक्षी ने दिनांक 06.09.2010 को अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा के समक्ष आवेदन देकर उसे रोकने का प्रार्थना किये थे, जिससे क्षुब्ध होकर अंचल अधिकारी, हण्टरगंज ने खाता नं0 267 के शेष प्लॉट का भी जमाबंदी स्थगित कर दिये कि विपक्षी ने क्यों सरकारी पुस्तकालय भवन के निर्माण में आपति करता है। यह कि खाता संख्या–267 की उपर्यक्त भूमि गैरमजरूआ खास दर्ज है पर रामगढ़ राजा के बन्दोबस्ती के आधार पर लखपतिया देवी पति–तुलसी साव के दखल कब्जा में आया तथा बाद में लखपतिया देवी केवाला नं0 1183 दिनांक–02.06.1966 से विपक्षी के पिता–महेश साव के नाम पर बिक्री पत्र कर दिये तथा उसी निबंधित बिक्री पत्र के आधार पर विपक्षी संख्या–01 के पिता–स्व0 महेश साव के नाम दाखिल खारीज की गई, जिसका नं0 26/74–75 है। यह कि विपक्षी संख्या 1 महेश साव के नाम पर उपर्युक्त दाखिल खारीज केस नं0 से जमाबंदी खोली गई तथा पुनः विविध वाद संख्या–32/87–88 से जमाबंदी की जांच अंचल अधिकारी, हण्टरगंज द्वारा की गई तथा दिनांक–23.09.87 के आदेश से जमाबंदी को सही पाकर चालू रखने का आदेश दिया गया। यह कि इस वाद की भूमि को लेकर भूमि

सुधार उपसमाहर्त्ता के न्यायालय में दाखिल खारिज केस नं0 8/1969–70 के आदेश के विरूद्ध विपक्षी संख्या–1 के पिता महेश साव के द्वारा अपील संख्या 102/1970 लाया गया था, जिसमें उपर्युक्त भूमि रकवा 7.38 एकड़ की जमाबंदी खोले जाने के आवेदन को अंचल अधिकारी, हण्टरगंज द्वारा खारीज करने के आदेश को रद्द कर दिया गया तथा महेश साव के नाम जमाबंदी खोलने के आदेश दिया। जिसके आधार पर वाद संख्या–26/74–75 का अभिलेख अंचल कार्यालय, हण्टरगंज में खोला गया तथा दिनांक–17.4.75 को पारित अंचल अधिकारी के आदेश उपर्युक्त भूमि की जमाबंदी विपक्षी संख्या के पिता–महेश साव के नाम खोल कर सरकारी रसीद काटी गई। यह कि अचंल अधिकारी का आदेश रद्द करने योग्य है, तथा विपक्षी संख्या–1 के पिता–स्व0 महेश साव के नाम की जमाबंदी यथावत बनाये रखने के योग्य है। यह कि वाद की भूमि पर बराबर प्रतिवादी के पिता तथा अब प्रतिवादी का कब्जा दखल है। सिर्फ खाता 267 प्लॉट नं0 11 रकवा 08 डी0 पर जबरन कब्जा दिया गया है, जिसके विरूद्ध धारा 144 द0प्र0स0 के अनुमण्डल पदाधिकारी सुश्री मृदुला सिन्हा, भा0प्र0से के द्वारा विपक्षी संख्या 01 के पिता के पक्ष में तथा ग्रामीण केदार साव वगैरह के विरूद्ध आदेश पारित किया गया था तथा विपक्षी संख्या–1 महेश साव को कब्जा करार दिया गया था। यह कि खाता नं0 267 प्लॉट नं0 1 और 03 का भी कम्पलेन्ट केस नं0 138/92 चला था, जिसमें विपक्षी के पिता महेश साव परिवादी थे, तथा अभियुक्तों को न्यायालय से डॉट फटकार कर छोड़ा गया था, क्योंकि वे लोग महेश साव को बेदखल करने का प्रयास किये थे, उक्त सजा के विरूद्ध अभियुक्त ने अपील भी नहीं किये थे। यह कि अंचल से यह संदेहात्मक जमाबंदी वाद विपक्षी को परेशान करने तथा उनके विरूद्ध उपायुक्त महोदय और अनुमण्डल पदाधिकारी के समक्ष लिखित शिकायत करने के कारण बदले की भावना से लाया गया है, क्योंकि विपक्षी आर्थिक रूप से काफी कमजोर है। यह कि विपक्षी संख्या 02 लखपतिया देवी काफी समय पूर्व अर्थात महेश साव के नाम केवाला करने के कुछ साल बाद ही मर गई, फिर भी उसे विपक्षी बनाया गया है। जो गलत है। अचंल अधिकारी, हण्टरगंज द्वारा वाद संख्या–02/2010–11 के पारित जमाबंदी स्थगन आदेश को रद्द करने हेतु आदेश देने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से निम्नांकित मुख्य बिन्दु परिलक्षित होते है:–

- **<u>गैरमजरूआ खास जमीन का मामला।</u>**

- **गैरमजरूआ खास जमीन का मामला** – अंचल अधिकारी, हण्टरगंज के आदेश पत्रक में उल्लेखित है कि पंजी– II के अनुसार खाता संख्या–267, प्लॉट संख्या–11, 643 वो अन्य रकवा–0.08

एकड़ के साथ अन्य प्लॉट में 7.30 एकड़ भूमि की जमाबंदी आवेदक के पिता–महेश साव, पिता–मंगरू साव के नाम पर पंजी– II पेज संख्या–75/5 पर रसीद निर्गत है। **पूरी रकबा 7.38 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि है।**

विक्रय पत्र /पट्टा/हुकुमनामा से संबंधित जमीन के लिए उत्पन्न हो रही समस्याओं के निराकरण एवं सरलीकरण हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, राँची से दिशा–निर्देश प्राप्त है। सरकार के सचिव का पत्रांक–06 भूमि का नियमितीकरण–89/2020 1704/रा0 पारा 9 के कंडिका (II) में स्पष्ट निदेश दिया गया है।

पत्रांक–06 भूमि का नियमितीकरण–89/2020 1704/रा0 पारा 9 के कंडिका (II) के अनुसार–"विभागीय पत्रांक–2861, दिनांक–08.06.2017 द्वारा दिनांक–01.01.1946 के पूर्व निबंधित (विक्रय पत्र/पट्टा/हुकुमनामा) के आधार पर पंजी–II में संधारित गैरमजरूआ भूमि से संबंधित जमाबंदियों में ऑनलाईन दाखिल–खारिज एवं ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने की कार्रवाई अंतिम रूप से संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा की जायेगी। अंचल अधिकारी अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी हेतु चिन्हित भूमि का रद्द करने हेतु खोले गये अभिलेख में ही सभी अपेक्षित दस्तावेजों के सत्यापन एवं भौतिक सत्यापन के पश्चात् पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरांत आदेश पारित करेंगे एवं तदनुरूप ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करेंगे। इस निदेश के बाद अभिलेख को भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता/अनुमण्डल पदाधिकारी को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। इस हद तक विभागीय पत्रांक–2861, दिनांक–08.06.2017 को संशोधित समझा जाय। इस कार्रवाई में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी इसके लिए पूर्णतः दोषी होंगे।"

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि इस वाद में विधिसम्मत/न्याय संगत सुनवाई करते हुए अंचल अधिकारी को ही आदेश पारित करना है।

अतः अंचल अधिकारी, हण्टरगंज को अग्रेतर कार्रवाई हेतु संबंधित अभिलेख वापस भेजें।

(लेखापित एवं संशोधित)

24/02/2021

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

24/02/2021

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

Digitally signed by SURENDRA ORAON
Date: 2024.07.03 09:14:46 -07:00
Location: 2409:40e4:1056:4265:8caa:c00f:a89d:a4b9